

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर
राजस्व प्रकरण संख्या 69/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

सायल गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री उगाप्रसिंह श्रीमान
पटवारी हल्का ताणुमानजी जाति रामपूत निवासी जानसिंह की बेरी
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उक्त अनु. 1 पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ताणुमानजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम जानसिंह की बेरी के खसरी नम्बर 296 रकबा 24.05 बीघा में से 5 बीघा किस्म अ. सो राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पच्चास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख द्यालेवा को आदेशित किया जाता है कि वह भूके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को नोटिस के बाद वेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 18.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

10/2
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50/- फसल नि. 275/-
कुल योग 325/- रजि. के पृष्ठ सं. 38
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार